न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 156/2014

1. बरजीदेवी बेवा तनसुखराम पुत्र ख्यालीराम
2. भागवंती देवी
3. परमेश्वरी देवी
4. राममूर्ति उर्फ रामपति
5. बाला देवी
6. सुमित्रा देवी
7. भगतसिंह उर्फ भगतसिंह

पुत्र व पुत्रिया तनसुखराम पुत्र ख्यालीराम

जाति जाट नि. महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र छत्तुराम जाति खाती निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर –मृतक

1/1 भंवरीदेवी पत्नी रामप्रताप
1/2 राजू
1/3 मोहनलाल
1/4 ताराचन्द
1/5 भालाराम
1/6 दुर्गा देवी

पिसरान रामप्रताप

अकवाम खाती निवासीगण ग्राम सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़। **——रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–रा.अधि. 1956
विरूद्ध सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ़
दिनांक 08.10.1984

उपस्थितिः–

श्री भागीरथ विश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेन्द्र शर्मा अभिभाषक रेस्पो.

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 29.09.2017**

अपीलांट द्वारा यह अपील भूमि आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 08.10.1984 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । उक्त आदेश के द्वारा रामप्रताप को चक 2 एसएमआर के मु.न. 94/38 के कि.न. 1, 6 से 25 की 20.10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट सं. 1 के पति व अपीलांट सं. 2 से 7 के पिता तनसुखराम को उक्त भूमि के अलावा प.न. 94.30 के कि.न. 21 से 25 की 4.08 बीघा कुल 24.18 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 18.02.1984 को किया गया था तथा मौके पर कब्जा सौंप दिया गया था। विवादित भूमि शुद्ध रकबा राज नहीं था फिर भी इसका आवंटन रामप्रताप को कर दिया गया। रामप्रताप को आवंटन करने से पूर्व किसी प्रकार आवंटन विज्ञप्ति नहीं निकाली न ही अपीलांट को सुना गया । जब पूर्व से ही रकबा तनसुखराम को आवंटन था तो उसका आवंटन किसी अन्य को नहीं किया जा सकता था । अपीलाधीन आदेश तनसुखराम या उसके वारिसान को सुने बिना पारित किया गया है अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकर नहीं है। तनसुखराम को आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में तनसुखराम व उसके

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वारिस अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपील इसी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा मियाद अधिनियम के प्रा.पत्र का जबाव पेश करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील लगभग 30वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। इतने विलम्ब को माफ किये जाने का कोई उचित कारण नहीं है। इसके अलावा रेस्पो. रामप्रताप को विवादित भूमि का रकबा राज का आवंटन उसकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं जिसका खण्डन रेस्पो0 ने जबाव प्रा. पत्र पेश कर किया है। न्यायहित में प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 08.10.1984 के विरूद्ध दिनांक 15.09.2014 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में तो तथ्य अंकित हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में विलम्ब को माफ किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जाती है।

अपीलार्थी को विवादित भूमि रेस्पों. को दोहरे आवंटन के रूप में हुई है। अधी. न्यायालय की पत्रावली में रेस्पो. रामप्रताप के आवेदन पर पटवारी हल्का की दिनांक 30.07.84 की रिपोर्ट है कि " प्रार्थी रामप्रताप पुत्र छत्तूराम खाती सा. सोमासर के नाम चक नं. 2 एसएमआर के मु.न. 94/38 के कि.न. 1, 6 से 20, 21 से 25 की 20.10 बीघा अ.क. मुताबिक सायल के पास एक साल आवंटन का टीसी पट्टा जैरकार है लेकिन रिकार्ड गिरदावरी में रकबा राज दर्ज है। सायल के पिता के नाम आ.का. 55 के बाद का(जेरकार) 24.12बीघा अ0क0 रकबा है व

29/9/14

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खातेदारी सामिल खाते में सायल के पिता के हिस्से में 10.14 बीघा कमाण्ड 12 बीघा अ0क0 आता है। सन् 1955 की वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं है। सायल के दो भाई और पिता मौजूदा है। सायल के हिस्से में पिता की भूमि में से 3.12 कमांड व 8.14 अ0क0 रकबा आता है। अतः सायल जो रकबा टीसी पुख्ता करवाना चाहता है वह रकबा दिनांक 18.02.84 को पुख्ता जी श्रैणी में आवंटन हो चुका है जो सायल अभी तक कब्जा लेने नहीं आया है सम्वत् 2040 खरीफ में सायल की कब्जा काश्त की''। अर्थात अपीलांट कब्जा लेने नहीं आया जिसके सन्दर्भ प्रावधान है कि 3 माह में कब्जा नहीं लिया जाता है तो आवंटन निरस्त होगा।

अपीलांट के पूर्वज तनसुखराम पुत्र ख्यालीराम को आदेश दिनांक 18.02.84 द्वारा चक 25 एम आर के दो मुरब्बों में 24.18 बीघा भूमि आवंटित हुई थी, जिसमें से मु.न. 94/30 के कि.न. 21, 22 से 25 कुल 4.08 बीझा धोकलसिंह पुत्र चेतनसिंह जाति राजपूत को होकर धोकलसिंह द्वारा दायर अपील संख्या 122/2014 निर्णय दिनांक 17.09.2015 द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार होकर प्रकरण हाजा के अपीलांट व अपील संख्या 122/2014 के रेस्पो. के विरूद्ध निर्णित होकर धोकलसिंह का आवंटन बहाल रहा तदानुसार विवादित आराजी के आधे भाग का अपीलीय निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया जा चुका है शेष रकबा मु.न. 94/38 के कि.न. 1, 6 से 25 की कुल 20.10 बीघा जो बाद में रामप्रताप पुत्र छत्तूराम जाट को आवंटित हुई जिसकी यह अपील पेश हुई है। चूंकि समग्र आवंटन तनसुखराम को हुआ जिसमें से 4.08 बीघा भूमि धोकलसिंह को आवंटन हुई वह हिस्सा तनसुखराम से निरस्त हो चुका है शेष 20.10 बीघा रामप्रताप को आवंटन होकर खातेदारी मिल चुकी है। अतः समग्र आवंटन के विरूद्ध अपील खारिज योग्य होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर